

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

Press Release

दिनांक :- 30.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत् है:-
- | | | |
|-------|--|--------------------|
| (i) | Number of Assembly Constituencies going to poll | 55 |
| | No. of Districts involved | 7 |
| (ii) | Electors | |
| | Total Electors | 1,47,39,120 |
| | a) General Elector | 1,47,23,034 |
| | Male | 78,65,387 |
| | Female | 68,57,218 |
| | Third Gender | 429 |
| | b) Service Elector | 16,086 |
| | Male | 10,878 |
| | Female | 5,208 |
| | Third Gender | 0 |
| (iii) | Total No. of ASD electors | 7,64,380 |
| (iv) | No. of Candidates | 776 |
| | Male | 719 |
| | Female | 57 |
| (v) | Polling Station | 14,139 |
| | Main Polling Stations | 13,535 |
| | Auxiliary Polling Stations | 604 |
| (vi) | No. of Polling Station Location | 9,858 |
| (vii) | No. of EVMs to be used | |

	CU	14,139
	BU	18,289
(viii)	No. of VVPATs to be used	2,029
(ix)	No. of ECI Observers	
	General Observers	55
	Expending Observers	17
	Police Observers	7
	Awareness Observers	7
(x)	No. of Employees given Postal Ballots	34,268
(xi)	No. of Employees casted vote through Postal Ballots	30,655
(xii)	No. of NBWs against accused persons executed after announcement of election	12,430
(xiii)	No. of Vulnerable Hamlets	4,623
(xiv)	No. of electors identified as vulnerable	2,57,178
(xv)	No. of identified trouble makers in vulnerability mapping	16,115
(xvi)	No. of Bonds taken under section 107 Cr. P.C.	60,838

2. Other Details

Name of Distt.	West Champaran	East Champaran	Sheohar	Sitamarhi	Muzaffarpur	Gopalganj	Siwan	Total
No. of model polling stations	36	24	6	32	55	24	72	249
No. of critical polling stations	520	913	47	416	850	567	933	4246
No. of LWE polling stations	391	1193	144	608	664	43	0	3043
No. of Micro Observer deployed	230	565	20	280	478	200	382	2155
No. of Polling Personnel deployed	10390	14525	1321	9130	14610	8031	11631	69638
No. of CPF and State Police Personnel deployed (in Coys)	220	212	41	167	241	126	156	1163
No. of Android Mobile deployed	90	120	0	140	110	72	80	612
No. of Video Camera deployed	107	303	46	43	322	172	160	1153

No. of PS using Live Web Casting	90	129	20	89	160	70	140	698
Air Surveillance – Helicopter/UAV								5
No. of vehicle required in 4 th phase								18,371
No. of Motor Boat to be used in 4 th phase for Riverine patrolling								38
No. of Motor Bike to be used in 4 th phase for patrolling								409
Mounted Police Force to be used for patrolling								50
Air Ambulance								1

3. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष संख्या 0612-2217788 तथा फ़ैक्स संख्या 0612-2215611 है।
4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाताओं को बी०एल०ओ० के माध्यम से उनके घर पर ही मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा रही है। चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 97.06% मतदाताओं को मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है वे मतदान की तिथि दिनांक 01.11.2015 को अपने मतदान केन्द्र पर जा कर बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तो ईपिक अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची स्वयं ही मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज है। मतदान हेतु मतदाता पर्ची की मूल प्रति ही स्वीकार्य होगी।
5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर Basic Minimum Facilities के तहत निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा रही है :-
 - (i) रैम्प की व्यवस्था
 - (ii) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
 - (iii) बैठने हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था

- (iv) रौशनी की व्यवस्था
 - (v) हेल्प डेस्क की व्यवस्था
 - (vi) टॉयलेट की व्यवस्था (महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग)
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान की तिथि को मतदान केन्द्रों पर विकलांग/नेत्रहीन मतदाताओं की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-
- (i) मतदान केन्द्रों पर रैम्प की व्यवस्था।
 - (ii) निःशक्त मतदाताओं को व्हील चेयर द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर ले जाने की सुविधा।
 - (iii) नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की सुविधा।
 - (iv) किसी 18 साल से अधिक उम्र के सहयोगी की मदद से मतदान केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा।
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है :-
- 1 पासपोर्ट
 - 2 ड्राइविंग लाइसेंस
 - 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
 - 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
 - 5 पैन कार्ड
 - 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
 - 7 मनरेगा जॉब कार्ड
 - 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
 - 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
 - 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
 - 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के

लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
10. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 01.11.2015 (रविवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
11. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के 55 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 01.11.2015 (रविवार) को निर्धारित है जिनमें से 43 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, 8 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक तथा 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक है। चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
पश्चिम चम्पारण	1-वाल्मीकिनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	2-रामनगर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	3-नरकटियागंज *	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	4-बगहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	5-लौरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	6-नौतन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	7-चनपटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	8-बेतिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	9-सिकटा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
पूर्वी चम्पारण	10-रक्सौल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	11-सुगौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	12-नरकटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	13-हरसिद्धि (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	14-गोविन्दगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	15-कैसरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	16-कल्याणपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	17-पिपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	18-मधुबन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	19-मोतिहारी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	20-चिरैया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	21-ढाका	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
शिवहर	22-शिवहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
सीतामढ़ी	23-रीगा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	24-बथनाहा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	25-परिहार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	26-सुरसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	27-बाजपट्टी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	28-सीतामढ़ी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	29-रुन्नीसैदपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	30-बेलसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
मुजफ्फरपुर	88-गायघाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	89-औरई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	90-मीनापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

	91-बोचहाँ (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	92-सकरा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	93-कुडनी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	94-मुजफ्फरपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	95-काँटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	96-बरुराज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	97-पारु	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	98-साहेबगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
गोपालगंज	99-बैकुण्ठपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	100-बरौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	101-गोपालगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	102-कुचायकोट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	103-भोरे (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	104-हथुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
सिवान	105-सिवान	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	106-जीरादेई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	107-दरौली (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	108-रघुनाथपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	109-दरौदा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	110-बड़हरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	111-गोरेयाकोठी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	112-महराजगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

12. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	274
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	42
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	59
Violation of Loudspeaker Act	15
Illegal Meeting/Speech etc.	16
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	9
Others	84

13. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	191
No. of Explosives seized	56
No. of cartridges seized	595
No. of Bombs seized	17
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	8
No. of Licensed Arms deposited	12,179
No. of Licensed Arms Cancelled	3,712
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	64,514
No. of non-bailable warrants executed	15,051
Fine collected in vehicle checking	Rs. 1,28,70,559

14. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के जिलों में अभी तक Flying Squad, Static Surveillance Team एवं अन्य के द्वारा अब तक कुल 5.32 करोड़ रुपये जब्त किया गया है। जब्त राशि में से आयकर विभाग द्वारा अब तक कुल 11.50 लाख रुपये को अंतिम रूप से जब्त किया जा चुका है जबकि 2.42 करोड़ रुपये जिला स्तर पर गठित समिति के स्तर से विमुक्त किया गया है। इसी प्रकार Flying Squad, SST, उत्पाद विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 1,58,246 लीटर शराब जब्त किया गया है जिसका मूल्य लगभग ₹2.90 करोड़ रूपया है।

15. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापाकारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 350 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया।

16. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	1
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	22
Violation of Loudspeaker Act	1
Illegal Meeting/Speech etc.	3
Others	2

17. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	2
No. of cartridges seized	8
No. of Bombs seized	5
No. of Licensed Arms deposited	34
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	421
No. of non-bailable warrants executed	122
Fine collected in vehicle checking	Rs. 1,59,605

18. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-

No. of prohibition cases registered	41
No. of raids conducted	116
Volume of illicit liquor seized during raids	2,123 litre
No. of persons arrested	50
Amount of fine imposed	Rs. 1,49,500
